



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फॅक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2130 / अका. / सम्बद्धता / 2021

रायपुर, दिनांक : 30/06/2021

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के निर्णयानुसार संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद जिला-धमतरी (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिये सीट वृद्धि सशर्त प्रदान की जाती है:-

(i) सत्र 2011-12 -

क्र.	कक्षा/विषय	वर्तमान में उपलब्ध सीट	मांग की गई सीट	वृद्धि पश्चात् कुल सीट
1.	एम.एस.सी. (भौतिकी)	10	10	20
2.	एम.एस.सी. (रसायन)	10	10	20
3.	एम.एस.सी. (वनस्पति)	10	10	20
4.	एम.एस.सी. (प्राणी)	20	10	30
5.	एम.ए. (भूगोल)	20	10	30
6.	एम.ए. (हिन्दी)	40	10	50
7.	एम.ए. (इतिहास)	10	05	15
8.	बी.एस.सी. (बायोटेक)	20	20	40
9.	बी.एस.सी. (बायो)	60	20	80
10.	बी.एस.सी. (गणित)	40	40	80
11.	बी.कॉम भाग-1	100	40	140
12.	बी.ए. भाग-1	250	50	300

(ii) सत्र 2018-19

क्र.	कक्षा का नाम	सीट वृद्धि संख्या
1.	बी.ए.	20
2.	बी.कॉम.	10
3.	बी.एस.सी. (बायो)	20
4.	एम.एस.सी. रसायन	04
5.	एम.एस.सी. वनस्पति	04
6.	एम.एस.सी. भौतिकी	04
7.	एम.एस.सी. प्राणिशास्त्र	04
8.	एम.एस.सी. गणित	04
9.	एम.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी	04

शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिक देंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

आदेशानुसार,

30.6.21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)


कृ.पू.उ.

पृ. क्रमांक : 2131 / अका. / सम्बद्धता / 2021

रायपुर, दिनांक : 30 / 06 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा,
5. स.कु.स. परीक्षा / परीक्षा सेमेस्टर / नामांकन / गोपनीय / वित्त नियंत्रक / विकास / प्रभारी अधिकारी, प्रेस कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
6. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


कक्ष अधिकारी (अका.)